न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/09/2021

चरनसिंह उर्फ बवली व्यवस्थापक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति सेऊ ग्राम पंचायत परमंदरा तहसील डीग जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.04.2021 बावत मुकदमा नम्बर 06/2020 सरकार बनाम व्यवस्थापक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति सेऊ ग्राम पंचायत परमंदरा तहसील डीग जिला भरतपुर अन्तर्गत अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 06.10.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसिल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है। आरोप में वर्णित उपभोक्ता चुनावी रंजिश के कारण उसकी दुकान से राशन कय नहीं करते है बल्कि खोह की दुकान से राशन लेते है। इसकी पुष्टि उन दोनों उपभोक्ताओं के ऑनलाइन रिकार्ड से हो सकती थी, जिनके नाम अपीलाधीन आदेश में वर्णित है। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा ऑनलाइन रिकार्ड को तलव किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित कि वक्त जांच पोस मशीन में 55 लीटर कैरोसीन मौके पर नहीं मिला। यहां यह उल्लेखनीय है कि कैरोसीन का आवंटन कई सालो से वंद है, किन्तु पोस मशीन में कैरोसीन का इन्द्राज तकनीकी कारणों से प्रदर्शित था, जवकि कैरोसीन का आवंटन हुआ ही नही था। इस कारण कैरोसीन मौके पर उपलब्ध नही मिला। अटैच दुकान परमंदरा (एफपीएस 24962) की जिस खाघ सामग्री का स्टांक में मिलना नही वताया है, वह सामग्री एमवीएसएस पसोपा जो अपीलान्ट से पूर्व परमंदरा की राशन दुकान अटैच थी उसके द्वारा अपीलान्ट को चार्ज सौपते समय राशन नही दिया गया जिसकी शिकायत अपीलान्ट द्वारा लिखित में उपखण्ड अधिकारी डीग को दिनांक 27.01.2020 को ही की जा चुकी थी तथा माह मार्च 2020 का गेहूं वक्त निरीक्षण अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ था। इस कारण उक्त गेहूं वक्त निरीक्षण दुकान पर उपलब्ध होने का प्रश्न नही उठता। इसके अतिरिक्त चुनावी रंजिश के कारण अटैच दुकान के आस–पास रहने वाले लोगों द्वारा राशन वितरण नही करने देने के कारण राशन का वितरण एक ही जगह से किया गया। राशन वितरण में अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलान्ट के पास धमारी की राशन दुकान का चार्ज दिनांक 11.07.2019 से लेकर दिनांक 18.12.2019 तक था। उक्त दिनांक 18.12.2019 से यह चार्ज पसोपा जीएसएस जरिये व्यवस्थापक वच्चूंसिंह को मिला। चार्ज देते समय समस्त स्टांक वच्चूसिंह को दे दिया जिसकी वावत कोई शिकायत नहीं है। वच्चूसिंह से दुकान दिनांक 23.1.2020 को धमारी के डीलर रामजीत को चार्ज में दी गई। दिनांक 24.1.2020 के 99 क्विंटल गेहूं के गवन के वावत अपीलान्ट का कोई सरोकार नही है, क्योकि दिनांक 18.12.2019 के वाद अपीलान्ट धमारी की राशन दुकान से कोई सम्वन्ध नही है। रसद विभाग ने अपने विभाग की कमी को छिपाने के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

लिए कुछ डीलरों को बचाने के लिए अपीलान्ट के विरूद्व झूठी एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप सिद्व नहीं हुये है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी तर्क किया है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व 4 बिन्दुओ पर आरोप कारित किये गये है किन्तु अपीलाधीन आदेश में उन चारों बिन्दुओं पर तथ्यात्मक निर्णय पारित नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद का तर्क है कि वक्त जांच डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री कम तोल कर देना एवं कई उपभोक्ताओं को कई माह से खाद्यान्न नहीं देना आदि अनियमितताऐ पाई गई। मौके पर डीलर की पोस मशीन में प्रदर्शित 55 लीटर कैरोसीन दुकान पर नहीं पाया गया। वैकल्पिक व्यवस्था की दुकान का संचालन पंचायत मुख्यालय पर नही कर ग्राम सेऊ स्थित दुकान से करना पाया गया। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था एफपीएस कोड 24962 में प्रदर्शित स्टांक 16.34 क्वि0 बीपीएल गेहूं तथा 61.60 क्वि0 एपीएल गेहूं कुल 76.94 क्विंटल गेहूं व 98 किलोग्राम चीनी के स्थान पर 2.29 क्विंटल गेहूं दुकान में रखा मिला। इसी प्रकार माह जनवरी 2020 का जीएसएस धमारी को आंवटित 99.48 किलोग्राम गेहूं डीलर व परिवहनकर्त्ता के द्वारा उसे खुर्द–बुर्द कर गबन किया जाना निरीक्षण में पाया गया है। इस बावत् डीलर के विरूद्व पुलिस थाना खोह में एफ.आई.आर भी दर्ज कराई गई है। डीलर के विरूद्व कारित आरोप सही है, अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है जो कि विधि अनुरूप है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं एवं गेहूं के गबन करने बाबत उसके विरूद्व सम्बंधित पुलिस थाना में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर.से सबंधित है। पत्रावली पर उपलब्ध थानाधिकारी पुलिस थाना खोह की जांच रिपोर्ट जो माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग में प्रस्तुत की गई है, के अनुसार डीलर के विरूद्व लगाये गये आरोप झूठे पाये गये है। पुलिस अनुसंधान के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अनुसार "एफपीएस कोड संख्या 24961 पूर्व अटैचमेन्ट दुकानदार धमारी चरनसिंह उर्फ बबली दिनांक 17.12.2019 तक रहा तथा उसके बाद दिनांक 19.12.2019 से एफपीएस कोड संख्या 24961 की दुकान श्री बच्चूसिह के सुपुर्द की गई, जो दिनांक 23.01.2020 तक रही। दिनांक 17.12.2019 को राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम लि0 भरतपुर द्वारा नियुक्त ठेकेदार मै0 बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बहादुर गढ जिला झज्जर हरियाणा के द्वारा निगम से 99.24 क्वि0 गेहूं प्राप्त किया गया। ठेकेदार द्वारा उक्त गेहूं को एफपीएस कोड संख्या 24961 की दुकान धमारी पर किसके सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में न तो कोई दुकानदार की प्राप्ती रसीद है और ना ही कोई चालान काटा गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार मै0 बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा के द्वारा माल को उक्त दुकान पर नहीं पहुचाया गया। अगर उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त माल को पूर्व या उसके पश्चात नियुक्त दुकानदार को माल दिया जाता तो अवश्य ही चालान काटा जाता एवं उसकी दुकानदार से प्राप्ती रसीद प्राप्त करता। इससे साफ स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार द्वारा माल को उक्त दुकान पर न पहुचाकर अपने कब्जे में रखा तथा राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम लि0मि0 भरतपुर द्वारा उक्त ठेकेदार के काम छोडने पर उसकी बकाया परिवहन राशि में से आदेश क्रमांक 2427 दिनांक 04.05.2020 के मुताबिक आदेश एफपीएस कोड 24961 को माह जनवरी 2020 का 99.24 क्वि0 गेहूं प्राप्त नही होने के कारण गेहूं की राशि 267948 रू0 को निगम द्वारा समायोजन कर बकाया राशि उक्त ठेकेदार को भुगतान किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण की घटना में किसी भी दुकानदार द्वारा माल का गबन नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा ही माल को उनके यहां पर न पहुचाकर अपने कब्जे में रखा एवं अपना परिवहन राशि भुगतान प्राप्त करते समय उक्त गेहूं की राशि को अपनी राशि से समायोजन कराया जाकर शेष भुगतान प्राप्त किया गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम लि0मि0 भरतपुर एवं रसद विभाग को कोई हानि नही हुई है। ठेकेदार द्वारा उक्त माल की अनुमानित राशि को अपने परिवहन भुगतान में से समायोजन कराया जा चुका है "।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

इस प्रकार प्रकरण पुलिस जांच में झूंठा पाया गया है। पुलिस अनुसंधान से भी स्पष्ट हो चुका है कि उक्त गेंहूं डीलर के पास पहुंचा ही नहीं है। उक्त गेंहूं की राशि निगम द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से बसूल की जा चुकी है। पोस मशीन में 55 लीटर केरोसीन का तकनीकी समस्या के कारण ही प्रदर्शित होना प्रतीत होता है। जबकि कैरोसीन का आवंटन डीलर को हुआ ही नहीं है। डीलर द्वारा राशन सामग्री का दुरूपयोग किया जाना नहीं पाया जाता है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 06.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर